न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 106/2020(2020/00222)

अनवान : –

1. हवासिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. दलीप पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. कलावती पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. गायत्री पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोशणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री संदीप गोदारा वादी
श्री प्रभुराम गोदरा प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं 118/115 के मु0 न0 84 के किला न0 5 की 0.253 है0, खाता संख्या 119/116 के मु0 न0 109 के किला न0 19/2, 20/2, 21 की कुल 0.633 है0, खाता संख्या 120/117 के मु0 न0 84 के किला न0 6, 7, 14, 15 की कुल 1.012 है0, मु0 न0 85 के किला न0 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.518 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा सुखराम की खातेदारी हुआ करती थी। सुखराम से वादभूमि प्रतिवादी बनवारी ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बनवारी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जन्म से हक व अधिकार व हित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बनवारी के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी को वादी के दादा सुखराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2016 के खाता संख्या 40 से साफ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

शोषन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/5 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दलीप के पक्ष में हिस्सा बराबर तर्क कर शून्य किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं 118/115 के मु0 न0 84 के किला न0 5 की 0.253 है0, खाता संख्या 119/116 के मु0 न0 109 के किला न0 19/2, 20/2, 21 की कुल 0.633 है0, खाता संख्या 120/117 के मु0 न0 84 के किला न0 6, 7, 14, 15 की कुल 1.012 है0, मु0 न0 85 के किला न0 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.518 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी हवासिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा चालू जमाबन्दी चक 8 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2073–76 खाता संख्या 118/115, 119/116, 120/117 प्रदर्ष 1, जमाबन्दी चक 11 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता संख्या 52/51 प्रदर्ष 2, जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2016 के खाता संख्या 40 प्रदर्ष 3, जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग चक 8 जेजीडब्ल्यू के सम्वत 2029–38 खाता संख्या 75 प्रदर्ष 4 प्रदर्षित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि चक 11 एमएस के खाता संख्या 52/51 की कुल 2.454 हैक्टेयर कृशि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसलिए चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता 118/115, 119/116, 120/117 की कुल 4.428 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी बनवारी का नाम कलमजन किया जावें। बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:37:34 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाशक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद रोही मौजा चक 8

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं 118/115 के मु0 न0 84 के किला न0 5 की 0.253 है0, खाता संख्या 119/116 के मु0 न0 109 के किला न0 19/2, 20/2, 21 की कुल 0.633 है0, खाता संख्या 120/117 के मु0 न0 84 के किला न0 6, 7, 14, 15 की कुल 1.012 है0, मु0 न0 85 के किला न0 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.518 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 119/116 के मु0 न0 109 के किला न0 19/2, 20/2, 21 की कुल 0.633 है0, इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्ल्य खाता संख्या 120/117 के मु0 न0 84 के किला न0 6, 7, 14, 15 की कुल 1.012 है0, मु0 न0 85 के किला न0 9 ता 12, 19, 20 की कुल 1.518 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.530 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से **प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी हवासिंह एवं प्रतिवादी सं 2 दलीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested